उत्तर प्रदेश शासन,

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या-178/2019/2697/92-2-2019-69(जॉच)/2017,

लखनऊ :: दिनांक:: 26 नवम्बर, 2019

कार्यालय-ज्ञाप

ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, पी0आई0यू0-ललितपुर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत पैकेज संख्या-4557 एवं पैकेज संख्या-4558 के निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित रखने के लिए जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित ग्रेडिंग एवं मोटाई के अनुरूप जी0एस0बी0 और डब्लू0बी0एम0 के कार्य न कराने एवं समुचित कुटाई नहीं कराने, ए0टी0आर0 प्रेषित किये बिना दोनो पैकेजों के अधोमानक कार्य कराने तथा अंतिम मापांकन व मूल्यांकन करते हुए भुगतान बीजक प्रस्तुत करते हुए उसका भुगतान कराने, निष्ठापूर्वक कर्तव्य का निर्वहन न करने, अत्यन्त महत्वूपर्ण प्रकरण में उदासीनता बरतने, उच्चादेशों के अनुपालन में विलम्ब करने आदि अनियमितताओं तथा उ0प्र0 शासन तथा पी0एम0जी0एस0वाई0 के दिशा-निर्देशों/शासनादेशों/वित्तीय नियमों एवं उ0प्र0 सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली-1956 का परिपालन सुनिश्चित न करने हेतु प्रथम द्रष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-972/92-2-2018-69(जॉच)/2017, दिनांक 23.04.2018 द्वारा श्री ए0के0 गुप्ता, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, पी0आई0यू0 ललितपुर सम्प्रति सेवानिवृत्त को आरोप पत्र देते हुए उनके विरूद्ध सी0एस0आर0 के अनुच्छेद-351ए के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुए प्रकरण की जांच हेतु अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, परिमण्डल-कानपुर को पदेन जांच अधिकारी तथा प्रकरण में विभागीय पक्ष/अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, पी0आई0यू0-ललितपुर को पदेन प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नामित किया गया। जांच अधिकारी द्वारा अपने पत्र दिनांक 18.12.2018 द्वारा जांच आख्या शासन में उपलब्ध करायी गयी।

2- अपचारी अधिकारी के विरूद्ध अधिरोपित कुल-2 आरोपों को जांच अधिकारी की जांच आख्या/विवेचना मे अपचारी अधिकारी श्री ए0के0 गुप्ता के बचाव उत्तर के सापेक्ष प्रमाणित नहीं पाया गया। अत: जांच अधिकारी की जांच आख्या एवं अन्य संगत अभिलेखों के सम्यक परीक्षणोपरान्त शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-972/92-2-2018-69(जॉच)/2017, दिनांक 23.04.2018 द्वारा श्री ए0के0 गुप्ता, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, पी0आई0यू0 ललितपुर सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध सी0एस0आर0 के अनुच्छेद-351ए के अन्तर्गत संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही को जांच अधिकारी की जांच आख्या के आधार पर उन्हें दोषमुक्त करते हुए दण्ड रहित समाप्त किये जाने की एतदद्वारा श्री राज्यपाल संहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूद्दीन

अपर मुख्य सचिव।

2-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-178/2019/2697(1)/92-2-2019 तद्दिनांक।

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ ।

2- जॉच अधिकारी/अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, परिमण्डल कानपुर ।

3- श्री ए0के0 गुप्ता, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, पी0आई0यू0 ललितपुर सम्प्रति सेवानिवृत्त द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

4- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अवध नारायण)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।